गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाज़ियाबाद

पत्रांक : 4126 / मा0 प्लान अनु0 / 2021 **दिनांक 02 / 12 / 2021**

''सार्वजनिक सूचना''

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 ए.वी.एस. इंडिया इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या– 1128मि क्षेत्रफल 4986.04 वर्ग मी0 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद की भूमि पर होटल हेतु ऑन लाईन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 के अनुसार खसरा संख्या–1128 मि ग्राम नूरनगर का भू–उपयोग 45 मी0, 24 मी0 एवं 18 मी0 चौड़े जोनल मार्ग का मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त आंशिक भाग जोनल लेवल पार्क तथा शेष भाग आवासीय भू–उपयोग आवासीय के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1120 / 8–23–16–28 विविध / 16 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 29.12.2016 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल क्रिया अनुमन्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन–सामान्य से 15 दिवस की अवधि हेतु आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेंगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com f : @gdagzb t : @gdagzb

हेल्पलाइन : 0120-3342433, व्हाट्सएप : 9818988807, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.in

एक सुंदर शहर — हमारा संकल्प